

①

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2018

नगरानी-3963/2018/अनूपपुर/भू.र

जगदीश पिता सुखई राठौर, निवासी-
सामतपुर, तहसील अनूपपुर जिला
अनूपपुर (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. नानबाई पिता सुखई राठौर पति
रामप्रसाद, निवासी- क्योठार तहसील
जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.)
 2. धनमतिया पिता सुखई राठौर पति
मिश्रीलाल राठौर, निवासी- बेला
तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
 3. उमाबाई पिता सुखई राठौर पति
रामलखन राठौर निवासी- खांडा
तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
 4. मुगियाबाई पिता सुखई राठौर पति
भीमसेन राठौर, निवासी- अनूपपुर
बस्ती वार्ड न. 10 जिला अनूपपुर
(म.प्र.)
- असल अनावेदकगण
5. सत्यदेव पिता सुखई राठौर, निवासी-
सामतपुर तहसील व जिला अनूपपुर
(म.प्र.)

--तरतीवी अनावेदकगण

श्री विनोद मार्गव
द्वारा आप्र दि. 27-6-18 को
प्रस्तुत। प्रापिक नु. हेनु
दिनांक 6-7-18 नियत।

२७
क्लर्क ऑफ कोर्ट 27.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

२३
विनोद मार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
27-6-2018

न्यायालय कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल म.प्र.
द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2016-17 में
पारित आदेश पारित दिनांक 12/06/2018 के
विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा
50 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

Rev. No 3963 / 2018 / अनुपपुर / भू. रा. सं.
जगदीश वि. नानाई वं. क्र. ५

6.7.18.

आवेदक अखिल विनोद मण्डल उपाधीक को
सुना राया | निगरानी मीमो व उसके साथ संलग्न
आयुक्त शहोल संयोग के द्वारा द्वितीय अपील
में जारी आदेश दि. 12.06.2018 का अवलोकन
किया गया |

(2) आवेदक एवं अनवेदकों के मध्य सम्पत्ति
का विभाजन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम
के अन्तर्गत न होने के आयुक्त शहोल संयोग
के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश
संकेत तहसीलदार के द्वारा पंजी पर किये गये
नामोत्तरण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम
के अन्तर्गत न होने के कारण नामोत्तरण को
तुरिपूर्ण पत्र के कारण नामोत्तरण दिनांक 5/11/84
को तुरिपूर्ण माना है |

(3) आयुक्त के आदेश में कोई तुरि न पाये
जाने के कारण 3 निगरानी अंग्राह्य की
जाती है |

lyani
6.7.18

सदस्य

सु
सिद्ध